निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1933 (श0)

(सं0 पटना 238) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

IndiaCode

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं० एल0जी0-1-10/2011/लेज-110—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2011]

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011

प्रस्तावना :— पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन एवं उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों पर कर–उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं।—(1) इस अधिनियम में जबतक कोई बात संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'कर निर्धारिती'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा नियोजक जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है।

(ख) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है वेतन अथवा मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति और इसमें शामिल हैं–

(i) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा रेलवे निधि के राजस्व से वेतन प्राप्त करनेवाला सरकारी सेवक;

(ii) किसी निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित अथवा नियंत्रित हो, जहाँ राज्य के किसी भी भाग में निकाय कार्य करता हो, यद्यपि कि इसका मुख्यालय राज्य के बाहर अवस्थित हो, की सेवा में व्यक्ति;

(iii) किसी व्यक्ति के कार्य नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जो उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) से आच्छादित नहीं है;

(ग) ''नियोजक'' जिसके अधीन कोई व्यक्ति नियमित रूप से वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करता है, से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा पदाधिकारी जो ऐसे वेतन अथवा मजदूरी वितरित करने के लिए उत्तरदायी हो, और उसमें कार्यालय अथवा किसी स्थापना का प्रधान तथा प्रबंधक अथवा नियोजक का अभिकर्ता शामिल है;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार,

(ङ) ''आय'' से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम 1961 के अधीन परिभाषित आय;

(च) ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो बिहार राज्य में किसी पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन में इस प्रकार कार्यरत हो और जिसमें हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन शामिल हैं, परन्तु उसमें आकस्मिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करनेवाला कोई व्यक्ति शामिल नहीं है;

स्पष्टीकरणः— इस खण्ड के प्रयोजनार्थ फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन के किसी शाखा को व्यक्ति माना जायेगा;

(छ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली द्वारा विहित;

(ज) ''पेशा कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन पर उद्ग्रहणीय कर;

(झ) ''वेतन अथवा मजदूरी'' में किसी व्यक्ति द्वारा नियमित आधार पर प्राप्त वेतन अथवा मजदूरी, महँगाई भत्ता और सभी अन्य पारिश्रमिक शामिल है, चाहे उसका भुगतान नकद अथवा वस्तु में भुगतेय हो और इसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा–17 में यथापरिभाषित वेतन के बदले परिलब्धि और लाभ शामिल हैं;

(ञ) ''कर'' से अभिप्रेत है पेशा कर;

(ट) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, उनके अर्थ वही होंगे जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का लागू होना।**—(1) इस अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा भुगतेय कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और कर, सूद और शास्ति के भुगतान को लागू करने हेतु सशक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण एवं संग्रहण का कार्य करेगा और इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, सूद और शास्ति के भुगतान को लागू करेगा और इस प्रयोजनार्थ वह कर विवरणी, कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, छूट गये कर निर्धारण, कर की वसूली, लेखाओं का अनुरक्षण , निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण, प्रतिनिधि की हैसियत के दायित्व, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय में अपील, अपराधों के प्रशमन से संबंधित प्रावधानों सहित तत्समय प्रवृत्त उसको समनुदेशित उक्त अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन

सभी अथवा किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा तथा उक्त अधिनियम के अन्य विविध मामले और प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, तद्नुसार लागू होंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, प्राधिकारियों द्वारा वैसे क्षेत्र में किया जायेगा जिसके संबंध में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–10 की उप–धारा (1) के अधीन उन्हें प्राधिकार प्रदत्त किया गया हो।

(3) यथा विहित बंधेजों और शर्त्तों के अध्यधीन, आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–10 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी पदाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

4. **कर का उद्‌ग्रहण और प्रभारण।**– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन पर कर का उद्‌ग्रहण और संग्रहण किया जायेगाः

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर एक वर्ष में दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) बिहार राज्य में किसी पेशा, व्यापार, आजीविका अथवा कार्य नियोजन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से पेशा, व्यापार, आजीविका या कार्य नियोजन पर कर भुगतान करने हेतु दायी होगा।

5. **कर्मचारी की तरफ से कर की कटौती करने एवं भुगतान करने हेतु नियोजक का दायित्व।**– वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की उसके नियोजक द्वारा उसको भुगतान के पूर्व, उसके वेतन और मजदूरी से कटौती कर ली जायेगी और नियोजक, चाहे वह वेतन और मजदूरी का भुगतान करते समय ऐसे व्यक्तियों से कटौती करे या नहीं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ से कर का भुगतान करने हेतु दायी होगाः

परन्तु यदि नियोजक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार हो तो नियोजक, उक्त दायित्व का निर्वहन यथा विहित रीति से करेगाः

परन्तु और कि जहाँ वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करनेवाला कोई व्यक्ति एक ही साथ एक से अधिक नियोजक के यहाँ कार्यरत हो और ऐसा व्यक्ति अपने नियोजक अथवा नियोजकों को विहित प्रपत्र में यह घोषणा करते हुए प्रमाण–पत्र देता हो कि वह स्वयं कर का भुगतान करेगा, तब नियोजक ऐसे व्यक्ति को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती नहीं करेगा तथा यथास्थिति, ऐसा नियोजक, ऐसे व्यक्ति की तरफ से कर के भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

6. **निबंधन और नामांकन।**– (1) प्रत्येक नियोजक को, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, जो धारा–5 के अधीन कर–भुगतान करने का दायी हो, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से निबंधन संख्या दी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर–भुगतान करने का दायी प्रत्येक कर– निर्धारिती, वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति, को छोड़कर जिसके लिए कर उसके नियोजक द्वारा संदेय हो, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से नामांकन संख्या प्रदान की जायेगी।

7. **कर विवरणी और भुगतान।**– (1) इस अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति वह विवरणी उस प्रपत्र में और उस रीति से और उस अवधि के लिए दाखिल करेगा जो विहित किये जायें।

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, इस अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति द्वारा उस रीति से जमा किया जायेगा जो विहित की जाय।

(3) यदि नियोजक अथवा नामांकित व्यक्ति, यथोचित कारण के बिना, ऐसी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है अथवा विहित समय के अंदर कर का भुगतान नहीं करता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, उसे सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद, उस पर प्रत्येक माह विलम्ब के लिए एक सौ रूपये से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

8. **कर की कटौती अथवा भुगतान करने में विफल रहने का परिणाम।**– (1) यदि निर्धारिती, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, इस अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अथवा के अधीन कर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे, उसके किसी अन्य परिणामों और दायित्वों पर, जिसे वह उठा सके प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कर के भुगतान में व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त धारा में निर्देशित कर निर्धारिती को, कर–भुगतान नहीं करने की अवधि के लिए प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के बकाये राशि पर दो प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का दायी माना जायेगा।

(3) यदि नामांकित व्यक्ति, इस अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन यथापेक्षित कर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उप–धारा (2) में निर्धारित दर एवं रीति से साधारण ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

9. **कर आदि की वसूली।**– इस अधिनियम के अधीन कर, शास्ति, सूद अथवा कोई अन्य बकाया भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।

10. **अपील।**– (1) कोई कर निर्धारिती, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो तो वह आदेश पारित होने के पैंतालिस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगाः

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से उपर्युक्त पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किये गये अपील को मंजूर कर सकेगा;

(2) ऐसे किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा जबतक कि कर की राशि का जिसके संबंध में अपील किया गया हो, पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

11. **अपराध और शास्तियाँ।**– कोई व्यक्ति अथवा नियोजक जो युक्तियुक्त कारण के बिना, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों में से किसी का अनुपालन नहीं करता है तो दोषसिद्धि पर तीन माह के साधारण कारावास अथवा पाँच हजार रुपये तक के जुर्माना और जहाँ अपराध स्थायी प्रकृति का हो वहाँ जारी अपराध के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

12. **कम्पनी द्वारा अपराध।**– जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया हो वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगेः

परंतु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध कारित होने के निवारण हेतु सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ वह निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम भी शामिल है तथा

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से अभिप्रेत है, उस फर्म का साझीदार।

13. **कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने की शक्ति।**– आयुक्त अथवा अपर आयुक्त, मामले में पक्षकारों को सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जब भी ऐसा करना संभव हो, ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही अथवा कार्यवाहियों को अपने पास से किसी अन्य पदाधिकारी के पास एवं, इसी प्रकार, किसी कार्यवाही, को (किसी पदाधिकारी के समक्ष लंबित या इस धारा के अधीन अंतरित कार्यवाही सहित) किसी पदाधिकारी से लेकर किसी अन्य पदाधिकारी को अंतरित कर सकेगाः

परंतु जहाँ स्थानांतरण एक ही शहर, इलाका अथवा स्थान के किसी एक पदाधिकारी और कार्यालय से संबंधित हो, वहाँ इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में किसी कर निर्धारिती के संदर्भ में ''कार्यवाही'' शब्द से इस अधिनियम के अधीन, किसी वर्ष से संबंधित ऐसी सभी कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं जो ऐसे आदेश की तारीख को लंबित हों या जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व, पूर्ण कर ली गई हो तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं जो किसी वर्ष के संबंध में, ऐसे आदेश की तारीख के पश्चात् ऐसे कर निर्धारिती के संबंध में प्रारंभ की जाय।

14. **अपराधों का प्रशमन।**– (1) कर निर्धारण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी ऐसे कर निर्धारिती से, जिसे किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया हो, अपराध प्रशमन के रूप में पाँच हजार रुपये से अनधिक अथवा वसूलनीय राशि की दोगुणी राशि, इनमें से जो भी ज्यादा हो, स्वीकार करने की अनुमति कर निर्धारिती को दे सकेगा।

(2) कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, उप–धारा (1) के अधीन यथा अवधारित ऐसी राशि का संदाय करने पर, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में और आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश अथवा अभिलिखित कार्यवाही अंतिम होगी और इसके विरुद्ध कोई अपील अथवा आवेदन दाखिल नहीं किया जायेगा।

15. **विमुक्तियाँ।**– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात संघ के शस्त्र बलों के बिहार के किसी भाग में सेवारत सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शर्त्तों एवं बंधेजों के अध्यधीन व्यक्तियों के किसी वर्ग को कर के अधिरोपण से विमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक अथवा एक से अधिक सत्रों को मिलाकर हो सकेगी, विधान–सभा के समक्ष रखी जायेगी।

16. **स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पेशा कर का उद्ग्रहण न किया जाना।**–स्थानीय प्राधिकार के गठन अथवा स्थापना को नियंत्रित करने वाली किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी कोई स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को अथवा उसके बाद, पेशा, व्यापार, आजीविका अथवा कार्य नियोजन पर कोई कर अधिरोपित नहीं करेगा।

17. **अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।**– (1) सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी मद अथवा प्रविष्टि को परिवर्तित, जोड़ अथवा रद्द कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक अथवा एक से अधिक सत्रों को मिला कर हो सकेगी, विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

(3) इस अधिनियम में अनुसूची अथवा उसकी कोई प्रविष्टि अथवा मद के बारे में इंगित प्रसंगों का आशय अनुसूची के प्रसंग से होगा अथवा, यथास्थिति इसका आशय तात्कालिक रूप से, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अधीन संशोधित उसकी प्रविष्टि अथवा मद से होगा।

18. **नियमावली बनाने की शक्ति।**– (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इसके बनने के बाद इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष सत्रावधि जो मिलाकर एक अथवा अधिक सत्रों के लिए होगी, में कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा।

19. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।**– इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो और जो आवश्यक प्रतीत हो।

अनुसूची
(देखें धारा 4)

पेशा, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर की दरों की अनुसूची।

क्रमांक	कर निर्धारिती का वर्ग	संदेय कर की राशि
1	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं हो।	रुपये एक हजार प्रति वर्ष।
2	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक नहीं हो।	रुपये दो हजार प्रति वर्ष।
3	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय दस लाख रुपये से अधिक हो।	रुपये दो हजार पाँच सौ प्रति वर्ष

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

---

27 मई 2011

सं० एल०जी०–1–10/2011/लेज–111–– बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 का का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2011]

THE BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011

AN

ACT

Preamble:—TO PROVIDE FOR THE LEVY AND COLLECTION OF TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*-—(1) This Act may be called the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions.*-—(1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(*a*) "assessee" means a person or employer by whom tax is payable under this Act;

(*b*) "employee" means a person employed on salary or wages, and includes –

(i) a Government servant receiving pay from the revenues of the Central Government or any State Government or the Railway Fund;

(ii) a person in service of a body, whether incorporated or not, which is owned or controlled by the Central Government or any State Government where the body operates in any part of the State, even though its headquarters may be situated outside the State;

(iii) a person engaged in any employment of an employer not covered by clauses (i) and (ii) above;

(*c*) "employer" in relation to an employee earning any salary or wages on regular basis under him, means the person or the officer who is responsible for disbursement of such salary or wages, and includes the head of the office or any establishment as well as the manager or agent of the employer;

(*d*) "Government" means the State Government of Bihar;

(*e*) "Income" means Income as defined under the Income Tax Act, 1961;

(*f*) "person" means any person who is engaged in any profession, trade, calling or employment in the State of Bihar and includes a Hindu undivided family, firm, company, corporation or other corporate body, any society, club, or association so engaged, but does not include any person who earns wages on casual basis;

EXPLANATION— For the purposes of this clause, every branch of a firm, company, corporation or other corporate body, any society, club or association shall be deemed to be a person;

(*g*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*h*) "profession tax" means the tax on profession, trade, calling and employment leviable under this Act;

(*i*) "salary or wages" includes pay or wages, dearness allowance and all other remunerations received by any person on regular basis, whether payable in cash or in kind, and also includes perquisites and profits in lieu of salary as defined in section 17 of the Income Tax Act, 1961;

(j) "tax" means the profession tax;

(*k*) "year" means a financial year.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined herein shall have the meaning assigned to them under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).

3. *Application of the provisions of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and Rules made thereunder.*— Subject to other provisions of this Act and the Rules framed thereunder the

authority empowered for assessment , reassessment ,collection of tax and enforce payment of tax, interest and penalty payable by a dealer under the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005) shall do the work of assessment, reassessment , collection of tax and enforce payment of tax, interest and penalty payable under this Act and for this purpose he may exercise all or any of the powers assigned to them under the said Act and Rules made thereunder for the time being in force including the provisions relating to Tax returns, Tax assessment, Tax reassessment, escaped Tax assessment, recovery of tax, maintenance of accounts, inspection, search and seizure liability in representative character, refund, appeal, revision and reviews, appeal to the High court, compounding of offences and other miscellaneous matter and the provisions of the said Act shall, *mutatis mutandis* apply accordingly.

(2) The powers conferred under sub-Section (1) shall be exercised by the authorities within such areas in respect of which authority has been conferred on them under sub-section (1) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005).

(3) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers and duties under this Act to any of the officers appointed under sub-section (1) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005).

4. *Levy and charge of tax* .—(1) There shall be levied and collected a tax on professions, trades, callings and employments in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the tax payable by a person under this Act in respect of a year shall not exceed two thousand five hundred rupees.

(2) Every person engaged in any profession, trade, calling or employment in the State of Bihar shall be liable to pay the tax in respect of his Profession , Trade , Calling or employment at the rate specified in the Schedule appended to this Act.

5. *Employer's liability to deduct and pay tax on behalf of the employee.*—The tax payable under this Act by any person earning salary or wages shall be deducted by his employer from the salary or wages payable to such person before such salary or wages is paid to him, and such employer shall, irrespective of whether such deduction has been made or not, when the salary or wages is paid to such persons, be liable to pay tax on behalf of all such persons :

Provided that if the employer is an officer of the State Government or the Central Government, the manner in which the employer shall discharge the said liability shall be such as may be prescribed :

Provided further that where any person earning a salary or wages is simultaneously engaged in employment of more than one employer, and such person furnishes to his employer or employers a certificate in the prescribed form declaring, that he shall pay the tax himself, then the employer or employers of such person shall not deduct the tax from the salary or wages payable to such person and such employer or employers, as the case may be, shall not be liable to pay tax on behalf of such person.

6. *Registration and enrolment.*—(1) Every employer, not being an officer of the State Government or the Central Government, liable to deduct tax under section 5 shall be granted a registration number by the Tax assessing authority in the prescribed manner.

(2) Every Tax assessee liable to pay tax under this Act, other than a person earning salary or wages in respect of whom the tax is payable by his employer, shall be granted an enrolment number by the Tax assessing authority in the prescribed manner.

7. *Tax Returns and payments.*—(1) Every employer registered under this Act and every enrolled person shall furnish such returns in such form and manner and for such period as may be prescribed.

(2) The tax due under this Act shall be deposited by every employer registered under this Act and every enrolled person in such manner as may be prescribed

(3) Where an employer or enrolled person, without reasonable cause, fails to file such return or defaults in paying the tax within the prescribed time, the Tax assessing authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty not exceeding rupees one hundred for each month of delay.

8. *Consequences of failure to duduct or to pay tax* .— (1) If Tax assessee , not being an officer of the State Government or the Central Government, fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall, without prejudice to any other consequences and liabilities which he may incur, be deemed to be an assessee in default in respect of such tax payment.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), a Tax assessee referred to in that sub-section shall be liable to pay simple interest at the rate of two per centum of the amount of tax due for each month or part thereof for the period for which the tax remains unpaid.

(3) If an enrolled person fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall be liable to pay simple interest at the rate and in the manner laid down in sub-section (2).

9. *Recovery of taxes, etc.* .—The arrears of tax, penalty, interest or any other amount due under this Act, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

10. *APPEALS* .—(1) Any Tax assessee, not being an officer of the State Government or the Central Government, aggrieved by any order passed by any authority under the provisions of this Act may, within forty-five days from the date on which the order was served on him, appeal to the appellate authority :

Provided that the appellate authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, admit an appeal preferred after the expiry of the period of forty-five days aforesaid.

(2) No appeal shall be entertained, unless the amount of tax in respect of which the appeal has been preferred has been paid in full.

11. *Offences and penalties* .—Any person or employer who, without reasonable cause, fails to comply with any of the provisions of this Act or the rules made there under shall, on conviction, be punishable with simple imprisionment for tree months or fine which may extend to five thousand rupees or both, and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day during which the offence continues.

12. *Offences by companies.—(*1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

EXPLANATION. — For the purposes of this section, -

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(*b*) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

13. *Power to transfer proceedings.*—The Commissioner or the Additional Commissioner may, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, wherever it is possible so to do, and after recording his reason for doing so, by order in writing, transfer any proceedings or class of proceedings under any provision of this Act, from himself to any other officer, and he may likewise transfer any such proceedings (including a proceeding pending with any officer or already transferred under this section) from any officer to any other officer or to himself :

Provided that nothing in this section shall be deemed to require any such opportunity to be given where the transfer is from any officer and the offices of both are situated in the same city, locality or place.

Explanation.- In this section, the word "proceedings" in relation to any Tax assessee whose name is specified in any order issued thereunder means all proceedings under this Act, in respect of any year which may be pending on the date of such order or which may have been completed on or before such date, and includes also all proceedings under this Act, which may be commenced after the date of such order in respect of any year in relation to such Tax assessee.

14. *Compounding of offences .—(*1) The Tax assessing authority may, either before or after the institution of proceedings for an offence under this Act, permit any Tax asessee, charged with the offence, to compound the offence on payment of such sum, not exceeding five thousand rupees or double the amount of tax recoverable, whichever is greater.

(2) On payment of such sum as may be determined by the assessing authority under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the person in respect of the same offence.

(3) Any order passed or proceeding recorded by the Tax assessing authority under sub-section (1), shall be final and no appeal or application for revision shall lie therefrom.

15. *Exemptions .—(*1) Nothing contained in this Act shall apply to the members of the armed forces of the Union serving in any part of Bihar.

(2) The State Government may, by a notification published in the Official Gazette and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, exempt from levy of tax any class or group of persons.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall, as soon as it is published, be laid before the Legislative Assembly for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

16. *Local authorities not to levy profession tax .*—Notwithstanding anything in any enactment governing the constitution or establishment of a local authority, no local authority shall, on or after the commencement of this Act, levy any tax on professions, trades, callings or employments.

17. *Power to amend Schedule .*—(1) The Government may, by notification, alter, add to or cancel any item or entry in the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section(1) shall, as soon as it is published, be laid before the State Legislature for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

(3) References made in this Act to the Schedule, or any Entry or item thereof, shall be construed as references to the Schedule or, as the case may be, the Entry or item thereof as for the time being amended in exercise of the powers conferred by this section.

18. *Power to make rules.—-(*1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

19. *Power to remove difficulties .*—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, and may appear to be necessary for removing the difficulty.

IndiaCode

SCHEDULE

(*See* **Section 4**)

Schedule of rates of tax on professions, trades, callings and employments

Sl.No.	Class of Tax Assessee	Amount of Tax Payable
1	Persons whose income exceeds three lac rupees per annum but does not exceed five lac rupees per annum.	One thousand rupees per annum.
2	Persons whose income exceeds five lac rupees per annum but does not exceed ten lac rupees per annum.	Two thousand rupees per annum.
3	Persons whose income exceeds ten lac rupees per annum.	Two thousand and five hundred rupees per annum.

By order o f the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 238-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

IndiaCode